न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 26 / 2026

राजस्थान सरकार जरिये राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी (फसल) एवं उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी, जिला अजमेर

...........प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्री एग्रो, खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
2. श्री अनुज कोटेचा पुत्र पारस मल कोटेचा, पता जी–3, राजहंस कोलोनी, मदनगंज–किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान 305801

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1 श्री राजकुमार सोनी कृषि अधिकारी (फसल) एवं उर्वरक निरीक्षक
पैरोकार सरकार

2 श्री अनुज कोटेचा पुत्र पारस मल कोटेचा **अप्रार्थी सं. 01 व 02**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) डी के तहत जब्तशुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने बाबत् ।

आदेश

दिनांक– 27.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 के क्लोज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गु. नि / 2025 / 1045–49 दिनांक 30.05.2025 के निर्देशानुसार दिनांक 30.05.2025 को संयुक्त रूप से गठित कमेठी निरीक्षण एवं जॉच करने हेतु श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी (फसल), श्री रामगोपाल भांबी, कृषि अधिकारी (पौ.स.) व श्री रामनिवास जांगिड, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालस सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी लगभग अपरान्ह 05.00 बजे पहुॅचा तथा मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान की विनिर्माण ईकाई / गोदाम का निरीक्षण किया। मौके पर उक्त फर्म के प्रतिनिधी के तौर पर फर्म प्रतिनिधी श्री नन्दराम गुर्जर पुत्र श्री जगदीश गुर्जर निवासी अल्मास इंदोली तहसील अराई जिला अजमेर उपस्थित पाये गये। मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अनियमितताये तथा धारा 19 का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त जब्त शुदा उर्वरक Suspected DAP (Granular) के 14880 बैग प्रति 50 कि0ग्रा को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए) के तहत राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 के क्लोज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गु.नि/2025/1045–49 दिनांक 30.05.2025 के निर्देशानुसार दिनांक 30.05.2025 को संयुक्त रूप से गठित कमेठी निरीक्षण एवं जॉच करने हेतु श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी (फसल), श्री रामगोपाल भांबी, कृषि अधिकारी (पौ.स.) व श्री रामनिवास जांगिड, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालस सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी लगभग अपरान्ह 05.00 बजे पहुँचा तथा मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान की विनिर्माण ईकाई/गोदाम का निरीक्षण किया। मौके पर उक्त फर्म के प्रतिनिधी के तौर पर फर्म प्रतिनिधी श्री नन्दराम गुर्जर पुत्र श्री जगदीश गुर्जर निवासी अल्मास इंदोली तहसील अराई जिला अजमेर एवं गवाह के तौर पर ज्ञानचन्द जैन, सहायक कृषि अधिकारी आकोडिया, श्री भगत सिंह मीणा सहायक कृषि अधिकारी मु. अराई व सुरेन्द्र उजेनिया, कृषि पर्यवेक्षक मु. देवपुरी उपस्थित पाये गये। अप्रार्थी श्री अनुज कोटेचा पुत्र पारस मल कोटेचा, निवासी जी–3, राजहंस कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान एवं जिम्मेदार व्यक्ति मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा जारी उर्वरक वितरण, विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale OF Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3283 दिनांक 31.01.2024 और वैधता दिनांक 22.01.2029 द्वारा उर्वरको के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण के लिए अधिकृत है। श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी द्वारा मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से मौके पर उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को दिनांक 30.05.2025 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 19 एवं 35 का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 28(1)(डी) के तहत उर्वरक जब्ती की कार्यवाही कर मौके पर उपस्थित फर्म के प्रतिनिधी श्री नन्दराम गुर्जर पुत्र श्री जगदीश गुर्जर निवासी अल्मास इंदोली, तहसील अरांई जिला अजमेर एवं गवाह श्री रामनिवास जांगिड, सहायक निदेशक कृषि (वि) केकड़ी, श्री ज्ञान चंद जैन सहायक कृषि अधिकारी मु. आकोडिया, श्री भगत सिंह मीणा, सहायक कृषि अधिकारी मु. अराई के समक्ष सुपुर्द कर उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को खुर्द–बुर्द नहीं करने की हिदायत दी गई। मैसर्स श्री एग्रो द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अनियमितताये तथा धारा 19 का उल्लंघन पाये जाने पर सबंधित पुलिस थाना अरांई जिला अजमेर में फर्म के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करायी गयी (FIR NO.0093/2025 31-05-2025) जप्त किये उर्वरको का विवरण निम्नानुसार है।

क0 सं0	नाम उर्वरक	बैच नम्बर	उपलब्ध स्टॉक	नमूना आहरण	नमूना कोड	विश्लेषण परिणाम

जिला कलक्टर
अजमेर

			(बैग)	दिनांक		
1	Suspected DAP (Granular)	बैग पर अंकन नही	14880 बैग	30.05.25	RSO/F/2025-26/001	अमानक
2	Suspected DAP (Granular)			09.06.25	RSO/F/2025-26/003	अमानक
3	Suspected DAP (Granular)			09.06.25	RSO/F/2025-26/004	अमानक
4	Suspected DAP (Granular)			09.06.25	RSO/F/2025-26/005	अमानक
5	Suspected DAP (Granular)			09.06.25	RSO/F/2025-26/006	अमानक

श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी द्वारा उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 30.05.2025 को मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराईं जिला अजमेर, राजस्थान के निर्माण/विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उर्वरक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को भिजवाया गया जिनको प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त उक्त 14880 बैग को अमानक घोषित किया गया। उर्वरक जब्ती के उपरान्त उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (3) के तहत जब्ती की कार्यवाही की सूचना कार्यालय पत्रांक 485–88 दिनांक 31.05.2025 द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर को प्रस्तुत की गई। मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133 अल्मास, इंदोली के पास तहसील अराईं जिला अजमेर राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 8, 19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लंघन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) आयुक्तालय, जयपुर द्वारा एफसीओ के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्रांक 5357–5413 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा फर्म के विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale OF Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3283 को निरस्त कर उपलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गु.नि./2025/2990–95 दिनांक 18.07.2025 को प्रदान किये गए है। उक्त फर्म द्वारा दिनांक 30.05.2025 को उनके विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale OF Fertilizer) परिसर में राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाही एवं कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त की कार्यवाही के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में Criminal Misc. Petition (CRLMP) No. 4450/2025 एवं SB CIVIL MISC.Writ Petition No. 11824/2025 (मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराईं जिला अजमेर राजस्थान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

जिला कलक्टर
अजमेर

(एग्रीकलचर) व अन्य दायर की गई है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त जब्त शुदा उर्वरक मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अरांई जिला अजमेर, राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी अतः उक्त जब्तशुदा Suspected DAP (Granular) के 14880 बैग प्रति 50 कि0ग्रा को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए) के तहत राजसात कर नियमानुसार निस्तारण कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त जब्तशुदा माल निर्माण प्रकिया अधीन अर्द्धनिर्मित माल था तथा विक्रय हेतु तैयार माल नहीं था। यह माल छोटे–मोटे कट्टो में बिना वनज के भरे हुए थे। उपरोक्त माल हमारे को जिन माल को बनाने एवं अनुज्ञा प्राप्त थी उसी कवालिटी के थें। उपरोक्त माल में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025 अनुसार उपरोक्त माल अमानक घोषित किया गया हैं। जो माल मुझ अप्रार्थी की फर्म से जब्त किया गया उसके सन्दर्भ में फर्म को कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा जारी उर्वरक वितरण, विक्रय एवं भण्डारण प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3283 दिनांक 31.01.2024 एवं वैधता दिनांक 22.01.2029 द्वारा उर्वरकों के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण के लिए अधिकृत किया गया हैं। उक्त कार्यवाही पश्चात् अप्रार्थी की फर्म सीज हो चुकी है जिससे जीवन–यापन करना मुश्किल हो चुका हैं। जिसका सीधा असर मुझ अप्रार्थी एवं उसके परिवार की जीविका पर पड़ रहा हैं। यह कि अप्रार्थी फर्म का कभी भी कृषको से धोखाधड़ी का उद्देश्य नहीं रहा बल्कि सदैव कृषको की मदद ही रहा हैं, राजकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट के निष्कर्ष तकनीकी आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रार्थी ने हमेशा गुणवक्तापूर्ण सामग्री के वितरण का प्रयास किया हैं। उक्त माल समय की प्रकृति से क्षरण एवं वर्षा जनित पानी के कारण नष्ट हो चुका है और काम में लेने योग्य नहीं रहा हैं। अतः जब्तशुदा माल माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त करना उचित समझे तो मुझ अप्रार्थी फर्म को कोई आपत्ति नहीं हैं। ताकि मूल 6 ए प्रकरण का निस्तारण हो सकें। अतः जवाब स्वीकार कर उक्त प्रकरण को निस्तारण कर प्रार्थी की फर्म को अनसीज करने के आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 के क्लोज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गु.नि/2025/1045–49 दिनांक 30.05.2025 के निर्देशानुसार दिनांक 30.05.2025 को संयुक्त रूप से गठित कमेठी निरीक्षण एवं जॉच करने हेतु श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी (फसल), श्री रामगोपाल भांबी, कृषि अधिकारी (पौ. स.) व श्री रामनिवास जांगिड, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालस सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी लगभग अपरान्ह 05.00 बजे पहुँचा तथा मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर

जिला कलक्टर
अजमेर

129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराई जिला अजमेर, राजस्थान की विनिर्माण ईकाई/गोदाम का निरीक्षण किया। अप्रार्थी श्री अनुज कोटेचा पुत्र पारस मल कोटेचा, निवासी जी–3, राजहंस कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान एवं जिम्मेदार व्यक्ति मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अरांई जिला अजमेर, राजस्थान अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा जारी उर्वरक वितरण, विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale OF Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3283 दिनांक 31.01.2024 और वैधता दिनांक 22.01.2029 द्वारा उर्वरको के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण के लिए अधिकृत है। श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी द्वारा मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से मौके पर उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को दिनांक 30.05.2025 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 19 एवं 35 का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 28(1)(डी) के तहत उर्वरक जब्ती की कार्यवाही कर मौके पर उपस्थित फर्म के प्रतिनिधी श्री नन्दराम गुर्जर पुत्र श्री जगदीश गुर्जर निवासी अल्मास इंदोली, तहसील अरांई जिला अजमेर एवं गवाह श्री रामनिवास जांगिड, सहायक निदेशक कृषि (वि) केकड़ी, श्री ज्ञान चंद जैन सहायक कृषि अधिकारी मु. आकोडिया, श्री भगत सिंह मीणा, सहायक कृषि अधिकारी मु. अराई के समक्ष सुपुर्द कर उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को खुर्द–बुर्द्व नहीं करने की हिदायत दी गई। मैसर्स श्री एग्रो द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अनियमितताये तथा धारा 19 का उल्लंघन पाये जाने पर सबंधित पुलिस थाना अरांई जिला अजमेर में फर्म के विरूद्व प्राथमिकी (FIR NO.0093/2025 31-05-2025) दर्ज करायी गयी। श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी द्वारा दिनांक 30.05.2025 को मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133, अल्मास, इंदोली के पास, तहसील अरांई जिला अजमेर, राजस्थान के निर्माण/विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उर्वरक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को भिजवाया गया जिनको प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त उक्त 14880 बैग को अमानक घोषित किया गया। मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133 अल्मास, इंदोली के पास तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 8, 19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लंघन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) आयुक्तालय, जयपुर द्वारा एफसीओ के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्रांक 5357–5413 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा फर्म के विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale OF Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3283 को निरस्त कर उपलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गु.नि./2025/2990–95 दिनांक 18.07.2025 को प्रदान किये गए है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है तथा उक्त जब्तशुदा उर्वरक मैसर्स श्री एग्रो खसरा नम्बर 129–133 अल्मास, इंदोली के पास तहसील अरांई जिला अजमेर के कब्जे में काफी समय तक रहता

जिला कलक्टर
अजमेर

हैं तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब/दौराने बहस में भी जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने का कथन किया हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा उर्वरक **Suspected DAP (Granular)** के 14880 बैग प्रति 50 कि0ग्रा0 को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), केकड़ी जिला अजमेर उक्त जब्तशुदा उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण करावें। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर